www.abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082024-256346
CG-DL-E-13082024-256346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3139] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946
No. 3139] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/SHRAVANA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

का.आ. 3454(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे दी गई सारणी में वर्णित रिपोर्टकर्ता अस्तित्व, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करते हैं और आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ परामर्श के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड उक्त रिपोर्टकर्ता अस्तित्वों को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन का निष्पादन करने के लिए अनुज्ञात करता है, अर्थात् :-

www.abcaus.in

सारणी

क्रम सं. (1)	रिपोर्टकर्ता अस्तित्व (2)
1.	आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	ओपीजी सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड
4.	एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड
5.	जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
6.	अरिहंत केपिटल मार्केट लिमिटेड
7.	मनीलिशियस सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	एसएमआईएफएस लिमिटेड
9.	एसीएमएल केपिटल मार्केट लिमिटेड
10.	आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड
11.	मोनार्क नेटवर्थ केपिटल लिमिटेड
12.	कम्फर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड
13.	आर.के.स्टाक होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	एंजेल वन लिमिटेड
15.	आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर (भाग-1)]

रिमझिम पांडे, अवर सचिव

www.abcaus.in

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2024

S.O. 3454(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Reporting Entities (2)
1	RKSV Securities India Private Limited.
2	OPG Securities Private Limited.
3	SBICAP Securities Limited.
4	SMC Global Securities Limited.
5	JM Financial Services Limited.
6	Arihant Capital Market Limited.
7	Moneylicious Securities Private Limited.
8	SMIFS Limited.
9	ACML Capital Markets Limited.
10	Aditya Birla Money Limited.
11	Monarch Networth Capital Limited.
12	Comfort Securities Limited.
13	R.K. Stock Holding Private Limited.
14	Angel One Limited. And
15	IIFL Securities Limited.

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR (Part-1)]

RIMJHIM PANDEY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.